रजिस्टर्ड नं० एल० 33-एस० एम० 13-14/98.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 5 जनवरी, 1998/15 पौष, 1919

हिमाचल प्रदेश सरकार

उद्योग विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 2 जनवरी, 1998

सं० उद्योग (छ) 10-8/90.—यत: राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि गुजरात अम्बुजा सीमेंट लिमिटिड, 12 मेकर चैम्बर-3 नारिमन प्वांईट, मुम्बई जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (ई) के अन्तर्गत एक कम्पनी है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत: ग्राम रौड़ी, डवारू, खाता, बटेड़ व सुली, तहसील अर्की, जिला सोलन, में गुजरात अम्बुजा सीमेन्ट द्वारा कम्पनी के विस्तार हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है । अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिये भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो कि इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिये भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. उपरोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों तथा श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उक्त धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिये सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति जिसे उपरोक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता एवं उपमण्डलाधिकारी (ना0), अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला : सोलन तहसील : अर्की

गांव	खसरा नं0	क्षेत्र बीघा	क्षेत्र बिस्वा
1	2	3	4
रौड़ी	30	4	3
	31	0	12
	32	1	15
	33	4	15
	35	0	3
	226/147/1	0	1
	9	12	15
	224/138	1	12
	135	0	6
	225/147	0	4
		26	6
डवारू	40/19	1	16
खाता	84/2	4	8
	169/86	0	5
	179/94	1	7
	61	2	7
	85	1	10
	58	0	13
	171/87	0	9
		10	19

1	2	3	4
बटेड़	125/23	5	6
	26	1	0
	121/15	12	2
	82	1	15
	14	1	15
	27	1	8
	111/76	0	9
	29	3	18
	112/76	1	2
		28	15
सूली	2	0	15
	कुल कित्ता .. 28	जोड़ .. 68	11

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
वित्तायुक्त एवं सचिव ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।